

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 05 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से कुल ₹ 500000/- (पाँच लाख रूपए) एवं 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 530000/- (पाँच लाख तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ नि:श्वसता का खोरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विसुनदेव राम, 42, स्व० बालेश्वर राम, अनु० जाति	श्रीमती सविता देवी(पत्नी)	117/01. 02.18	ग्रा०-शहजादापुर, पो०-रामचन्द्रपुर, था०+ प्र०-सरायरंजन, समस्तीपुर	2282799 639	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सरायरंजन, CBINO280058	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० मंजू देवी, 45, स्व० राम सेवक महतो, सामान्य	श्री चरुण कुमार(पुत्र)	118/01. 02.18	ग्रा०-जायजपट्टी, पो०+था०+प्र०-दलसिंहसराय, समस्तीपुर	0000000 4006473 857	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दलसिंहसराय, CBINO281487	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० श्रवण कुमार, 35, श्री नन्द लाल महतो, सामान्य	श्रीमती विभा कुमारी(पत्नी)	119/01. 02.18	ग्रा०-प्रेमब्रह्मण्डा, पो०-घटहो, था०+प्र०-उजियारपुर, समस्तीपुर	1626212 1000593	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, दलसिंहसराय, ORBCO101626	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, सड़क निर्माण कार्य व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० रौशन कुमार शर्मा, 19, श्री नागेन्द्र शर्मा, सामान्य	श्रीमती संजु देवी(माता)	121/01. 02.18	ग्रा०-विशनपुर पहारपुर, पो०-शाहपुर डंडी, था०+प्र०-पटोरी, समस्तीपुर	3158290 1397	भारतीय स्टेट बैंक, पटोरी, SBIN0002991	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, घड़े मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० विनोद ठाकुर, 45, श्री देवन ठाकुर, सामान्य	श्रीमती अनीता देवी(पत्नी)	122/01. 02.18	ग्रा०+पो०-बरबट्टा, था०-मुसरीघरारी, प्र०-सरायरंजन, समस्तीपुर	6773020 1000274 9	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बरबट्टा, UBIN0567736	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, नाईगीरी कार्य व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० दयानंद पासवान, 19, श्री राम किशुन पासवान, अनु० जाति	श्रीमती मंजू देवी(माता)	123/01. 02.18	ग्रा०+पो०-किशनपुर युसुफ, था०+प्र०-सरायरंजन, समस्तीपुर	3918011 0040761	विहार ग्रामीण बैंक, खालिसपुर(गर्भी चौक), UCBAORRBKKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, तरंग मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 530000/-

(पाँच लाख तीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-26/2015 (अंश)के पृष्ठ-38/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-26/2015(अंश)

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित

को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-26/2015(अंश)

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-26/2015(अंश)

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 530000/- (पाँच लाख तीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-26/2015(अंश)

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-26/2015(अंश)

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को उनके ज्ञापक 117, 118, 119, 121, 122 एवं 123 दिनांक 01.02.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-26/2015(अंश)-109

पटना, दिनांक :- 09-03-18

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।